न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1, पीलीभीत ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–337 / 2026

<u>अपराध संख्या–51 / 2026</u>

अकरम पुत्र सूखा निवासी मोहल्ला कुरैशियान शेरपुरकलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

धारा–5 / 8 गौवध निवारण अधिनियम
थाना–पूरनपुर, जिला पीलीभीत।

<u>दिनांकः 09.03.2026</u>

अभियुक्त अकरम पुत्र सूखा निवासी मोहल्ला कुरैशियान शेरपुरकलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत उपरोक्त की ओर से अपराध संख्या–51 / 2026 अन्तर्गत धारा 5 / 8 गौवध निवारण अधिनियम थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत में जमानत प्रार्थनापत्र दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है ।

2. संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ठाकुर शिवम भदौरिया की ओर से एक प्राथमिकी थाना पूरनपुर पर इस आशय की किता कराई गई कि कल शाम सात बजे विशेष सूत्रो से जानकारी हुई कि पिपरिया दुलई से सुआबोझ जाने वाले रास्ते पर खेत के किनारे एक गौवंश का वध करके कसाईयो ने उनके अवशेष कहीं पर फेंक दिए। मैं व मेरी टीम मौके पर पहुंची तो देख कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक गौवंशीय पशु का वध कर सिर व खाल वहीं पर छोड़ दिए है व मांस अपने साथ ले गई है। अतः महोदय से निवेदन है कि अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध कठोर कानूनी कारवाई करने की कृपा करें।

3. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक / अभियुक्त को प्रस्तुत मामले मे झूठा फंसाया गया है। उसके विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप झूठे व मनगढ़न्त है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात मे दर्ज कराई गई है। आवेदक / अभियुक्त न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद है न ही घटनास्थल पर गिरफ्तार हुआ है और न ही उससे किसी प्रकार का मांस बरामद हुआ है। उपरोक्त वाद में मात्र अवशेष बरामद होना दर्शाया गया है। किसी भी प्रकार का मांस व वध करने के उपकरण घटनास्थल पर बरामद होना नही दर्शाया गया है। प्रस्तुत मामलें में आवेदक / अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में स्वयं की अपराध स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य मे ग्राहय नही है। इसके अतिरिक्त आवे. दक / अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कोई साक्ष्य नही है। उपरोक्त वाद में सह अभियुक्ता रेशमा की जमानत न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. 1 पीलीभीत द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।आवेदक / अभियुक्त प्रस्तुत मामले मे दिनॉक 12.02.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। अतः उसको उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा मिलकर गौवंशीय पशुओ का वध कर उनके मांस का विक्रय किया जाता है। अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति

का है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने योग्य है।

5. मैनें अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वह अज्ञात मे दर्ज है। अभियुक्त का नाम उसके द्वारा पुलिस अभिरक्षा मे की गयी स्वीकृति के आधार पर प्रकाश मे आया है। अभियुक्त से कोई बरामदगी नही हुई है। अतः उक्त परिस्थितियो मे मामले के गुणदोष पर कोई विचार किए बिना अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अकरम पुत्र सूखा निवासी मोहल्ला कुरैशियान शेरपुरकलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत का जमानत प्रार्थनापत्र उसके द्वारा मु. 50,000रू. के दो जमानतीं एवं समानराशि का बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर स्वीकार किया जाता है।

(विजय कुमार डुंगराकोटी)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. 1
पीलीभीत।
जे.ओ.कोड यू.पी.6156